भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3629

10.08.2026 को उत्तर के लिए

बलदा और सेरूबांध खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

3629. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा के कोरापुट जिले में बलदा और सेरूबांध खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरणीय स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन की कोई सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे उल्लंघनों, यदि कोई हो, के लिए परियोजना प्रस्तावकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), ओडिशा ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1 सितंबर, 2025 के प्रस्ताव संख्या एसआईए/ओआर/एमआईएन/536061/2025 द्वारा बलदा गांव, तहसील नंदपुर, जिला कोरापुट में स्थित 4.0 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बॉक्साइट उत्पादन क्षमता के साथ-साथ 800 टीपीएच क्षमता वाले संबद्ध पेराई और स्क्रीनिंग संयंत्रों के लिए कलिंगा एल्युमिना लिमिटेड की बलदा बॉक्साइट खदान (खनन पट्टा क्षेत्र-144.945 हेक्टेयर) को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की। उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा बलदा बॉक्साइट खदान के लिए खनन पट्टा निष्पादित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप,

विकास या खनन संबंधी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं और इसलिए, पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन या उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता।

सेरुबंध खनन परियोजना के संबंध में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2023 के प्रस्ताव संख्या आईए/ओआर/एमआईएन/416699/2023 द्वारा, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स नालको की पोट्टांगी गांव, पोट्टांगी तहसील, कोरापुट जिला, ओडिशा में स्थित 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाली पोट्टांगी बॉक्साइट खदान (खनन पट्टा क्षेत्र-697.979 हेक्टेयर) के साथ-साथ 900 टन प्रति घंटा की पेराई क्षमता वाले पेराई यंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की थी। ओडिशा सरकार द्वारा 13 जून, 2024 को पोट्टांगी बॉक्साइट खदान का खनन पट्टा निष्पादित किया गया था। तथापि, खदान अभी तक प्रचालन में नहीं आई है। इसलिए, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन या उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता।
